



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 768] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 25, 2018/कार्तिक 3, 1940
No. 768] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 25, 2018/KARTIKA 3, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2018

सा.का.नि. 1064(अ).—केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव करती है जिसे एतद्वारा, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के तहत यथापेक्षित, इससे प्रभावित होने वाले जन-साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है: और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जन साधारण के लिए उपलब्ध कराने की तारीख से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने की तारीख को या उसके उपरांत विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह उसे विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ लिखित रूप में सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003, को प्रेषित कर सकता है अथवा ऐसी आपत्ति या सुझाव मंत्रालय के ई-मेल mscb.cpcb@nic.in तथा h.kharkwal@nic.in पर सदस्य सचिव, सीपीसीबी और वैज्ञानिक 'डी' को भी प्रेषित कर सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में आगे संशोधन लाने हेतु एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्: —

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ— (1) इस नियमों को पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2018 कहा जाएगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम रूप से प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।
- पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में, अनुसूची-1 में क्रम सं. 35 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: —

क्र.सं.	उद्योग	मानदंड	मानक
(1)	(2)	(3)	(4)
"35	कॉफी उद्योग	तात्कालिक/शुष्क प्रसंस्करण	
		pH को छोड़कर mg/l में सांद्रता का मान	

		सीमित करना
	pH	6.0-8.5
	BOD 3 दिन 27°C	50 (सिंचाई के लिए जमीन पर बहाने हेतु)
नम/शुष्क कॉफी प्रसंस्करण		
	pH	6.0-8.5
	BOD 3 दिन 27°C	1000
	क. अस्तर लगाए गए लेगून में भंडारण हेतु	1000
	ख. सिंचाई के लिए जमीन पर बहाने हेतु	100
	सतही जलाशयों में बहाने के लिए बहिष्काव उत्सर्जन मानक (शुष्क एवं नम प्रसंस्करण) (pH को छोड़कर सभी mg/l में)	pH 6.0-8.5 BOD 20 COD 250 TSS 100
लाइनर प्रणाली विनिर्देश		
<p>गैर-पारगम्य लाइनिंग प्रणाली का निर्माण अच्छी तरह से श्रेणीकृत, अत्यधिक अभेद्य चिकनी मिट्टी अथवा भू-संश्लेषित मिट्टी के लाइनरों (जीसीएल), हाई डैन्सिटी पोलि ईथइलीन (एचडीपीई) या दोनों के मिश्रण जैसे भू-संश्लेषित लाइनरों का प्रयोग करके किया जाएगा और उससे 1×10^{-7} से.मी./सेकंड से कम पारगम्यता का स्व-स्थाने गुणांक प्राप्त होगा। सघनित मिट्टी का लाइनर कम से कम 300 मि.मी. मोटा होना चाहिए (अथवा दो सघनित स्तरों में प्रत्येक की मोटाई कम से कम 150 मि.मी. होनी चाहिए)। अंतिम रूप से लगाए गए अस्तर की जांच की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पारगम्यता के मानदंड पूरे कर लिए गए हैं।</p>		
लेगून विनिर्देश		
<p>बहिष्काव भंडारण केन्द्र/लेगून/सौर वाष्पीकरण तालाब नजदीकी धारा, छोटी नदी आदि में बाढ़ के उच्च स्तर के निशान के ऊपर निम्नलिखित फ्री बोर्ड के साथ और किसी जलाशय/धारा से दूर स्थित होंगे जैसे नीचे दर्शाया गया है:</p>		
	फ्री बोर्ड (से.मी.)	60
	दूरी (मी.)	100

[फा.सं. क्यू-15017/26/2007-सीपीडब्ल्यू]

डॉ. ए.सेंधिल बेल, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पणी: मूल नियम तारीख 19 नवम्बर, 1986 की अधिसूचना सं. का.आ. 844(अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और तारीख 28 जून, 2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 593 (अ) द्वारा उसे संशोधित किया गया है।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th October, 2018

G.S.R.(E) 1064.—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public.

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period specified above to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110003, or send it to Member Secretary, CPCB and Scientist 'D' Ministry at the e-mail address i.e. mscb.cpcb@nic.in and h.kharkwal@nic.in.

Draft Notification

The Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule-I, for serial number 35 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

S. No.	Industry	Parameter	Standards
(1)	(2)	(3)	(4)
35	Coffee Industry	Instant /Dry Processing	
			Limiting value for concentration in mg/l except for pH
		pH	6.0-8.5
		BOD _{3days,27°C}	50 (for discharge on land for irrigation)
		Wet / Parchment Coffee Processing	
		pH	6.0-8.5
		BOD _{3days,27°C}	1000 100
		A. For storage in lined lagoons	
		B. For discharge on land for irrigation	
		Effluent discharge norms for discharge into surface water body (dry & wet process) (All in mg/l, except pH)	pH
	BOD	20	
	COD	250	
	TSS	100	
LINER SYSTEM SPECIFICATIONS			

		<p>The non-permeable lining system shall be constructed by using well graded, highly impervious clay or geosynthetic liners such as Geosynthetic Clay Liners (GCL), High Density Poly Ethylene (HDPE) or a combination of both and shall achieve an in-situ coefficient of permeability of less than 1×10^{-7} cm/sec. The compacted clay liner must have a minimum of thickness of 300 mm (or two compacted layers of 150 mm minimum thickness each). The finished lining must be tested to ensure that it meets the permeability criteria.</p>				
LAGOON SPECIFICATION						
		<p>The effluent storage facilities/lagoons/solar evaporation ponds shall be located above high flood level mark of the nearby stream, rivulet etc. with below mentioned free board and away from any water body/stream at a distance as specified below:</p> <table data-bbox="586 772 1003 831"> <tr> <td>Free Board (cm)</td> <td style="text-align: right;">60</td> </tr> <tr> <td>Distance (m)</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> </table>	Free Board (cm)	60	Distance (m)	100
Free Board (cm)	60					
Distance (m)	100					

[F. No. Q-15017/26/2007-CPW]
DR. A. SENTHIL VEL, Scientist 'G'

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.O. 844 (E), dated the 19th November, 1986 and lastly amended *vide* notification G.S.R. 593(E), dated the 28th June, 2018.